न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बर 03 / 2022
ऑनलाइन प्रकरण न. 2022 / 80

दर्ज दिनांक 18.01.2022
निर्णय दिनांक 20.04.2023

1. श्रीमती मैनी उम्र 60 वर्ष पत्नी स्व श्री गोकलराम
2. जगदीश उम्र 35 वर्ष पुत्र गोकलराम
3. अशोक कुमार पुत्र स्व. गोकलराम
4. सुमित्रा उम्र 37 वर्ष पुत्री स्व. गोकलराम
5. सम्पू उम्र 30 वर्ष पुत्री स्व. गोकलराम
6. सुमन उम्र 25 वर्ष
7. अनिता उम्र 23 वर्ष
8. बद्री प्रसाद उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री लक्ष्मण
9. ज्यानादेवी उम्र 58 वर्ष पत्नी बनवारी
10. महेश उम्र 27 वर्ष पुत्र बनवारी
11. विक्रम उम्र 32 वर्ष
12. मिना उम्र 29 वर्ष पुत्री बनवारी
13. भगवानाराम उम्र 78 वर्ष पुत्र लक्ष्मण
14. रोहिताश उम्र 62 वर्ष पुत्र लक्ष्मण

समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश प्रसाद उम्र वर्ष पुत्र श्री गणपत जाति जाट
2. धुड़ाराम पुत्र श्री गणपत जाति जाट
3. धन्नाराम पुत्र श्री छोटूराम जाति अहीर यादव
4. धर्मपाल पुत्र श्री गणपत जाति जाट
5. पूर्णमल पुत्र श्री छोटूराम जाति अहीर
6. बजरंगसिंह पुत्र श्री छोटूराम जाति अहीर
7. बोदूराम पुत्र श्री गणपत जाति जाट
8. रोहिताश पुत्र श्री गणपत जाति जाट
9. वन्दना पुत्री वीरेन्द्र कुमार जाति अहीर
10. शिवराम पुत्र श्री गणपत जाति जाट
11. सुगनाराम पुत्र श्री छोटूराम जाति अहीर

समस्त निवासीगण ग्राम सराय तहसील उदयपुरवाटी

12. स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा एडीबी उदयपुरवाटी
13. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मणकसास, उदयपुरवाटी।
14. तहसीलदार महोदय तहसील उदयपुरवाटी।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम

निर्णय दिनांक 28.04.2023

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम सराय की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 366 व 367 अवस्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के स्वर्गीय पति व पिता गोकलराम व प्रार्थी संख्या 8 तथा प्रार्थी संख्या 9 लगायत 12 के स्वर्गीय पति व पिता बनवारीलाल तथा प्रार्थी संख्या 13 व 14 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। खातेदार गोकलराम, बनवारी का देहान्त हो चुका है, उसके वारिसान प्रार्थना पत्र में पक्षकार है। भूमि खसरा न. 367 स्थित ग्राम सराय के उत्तर दिशा की तरफ भूमि खसरा न. 358, 357, 353, 352 अवस्थित है, उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के नाम से है भूमि खसरा न. 352 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर मुख्य सड़क जाती है, उस सड़क से पश्चि खसरा न. 352, 353, 357, 358 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे एक रास्ता भूमि खसरा न. 367 आता है, जो प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी अंकित किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा न. 367 मे आवागमन के लिए यही एक मात्र रास्ता नजरी नक्शे में वर्णित ए से बी बिन्दु वाला ही है। इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा न. 367 में फसल जुताई के लिए व काश्त का तैयार माल मण्डी तक लाने व ले जाने हेतु ट्रैक्टर, उंट गाड़ी को इसी रास्ते से लाते है तथा ले जाते है व काश्त भूमि में खाद डालने आदि मी इसी रास्ते से होकर जाते हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमि में दिनांक 03.01.2023 को रास्ते जा रहे थे उसी समय प्रार्थीगण को रास्ते में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 मिले जिन्होंने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि उक्त रास्ता मौके पर चालू है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। इसलिए वे इस रास्ते को लाठी के बल पर जबरन बंद कर देंगे तथा उनको भूमि में आने जाने नहीं देंगे जिससे मजबूर होकर उक्त भूमि को कोडियो के भाव में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को बेचने पर मजबूर होना पडेगा अप्रार्थीगण की उक्त गैर कानूनी हरकतों को देखते हुए प्रार्थीगण को अपनी काश्त भूमि में आने जाने का संकट उत्पन्न हो सकता है इसलिए अप्रार्थीगण की हरकतों को देखते हुए राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकित फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को भूमि खसरा न. 367 स्थित ग्राम सराय में आवागमन हेतु भूमि खसरा न. 352, 353, 357, 358 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 15 फिट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शे में ए से बी बिन्दु से वर्णितानुसार कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु अप्रार्थी संख्या 14 को आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदक की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3, 5, 6, 9 व 11 ने इकबालिया जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 10, 12 व 13 बावजूद तामील हाजिर नहीं, अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाई गई। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 7, 8 ने जवाब प्रार्थना मूल का पेश नहीं किया। ना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया पूर्व के खसरा 352, 353 कबा कमशः 0.12, 0.50 है0 में से रास्ते बाबत् अनावेदक संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा (दौसा)

...गुमानाराम, अनावेदक संख्या 6 बजरंग सिंह, अनावेदक संख्या 11 सुमनाराम ने 251क रा.का. अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसको माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2021 को निरस्त कर दिया था। न्यायालय द्वारा निरस्त करने के बाद अनावेदक संख्या 3, 5, 6, 11 व आवेदकगण आपस में सांठ कर उक्त भूमि में रास्ते बाबत तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जबकि उक्त भूमि में चाहे गए रास्ते का पूर्व में ही निर्णय हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र कानून विरुद्ध होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 151 सीपीसी का जवाब पेश कर निवेदन किया। श्रीमान् के न्यायालय में दिनांक 01.10.2021 को कोई प्रकरण निस्तारित नहीं हुआ है तो उसकी जानकारी आवेदकगण को नहीं है। प्रार्थना पत्र में उक्त निर्णय बाबत कोई उनवान व मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। कानूनन प्रकरण में पक्षकारान व विवादित भूमि एक ही नहीं होने के कारण धारा 11 सीपीसी प्रावधान लागू नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 151सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका जाचं रिर्पोट दिनांक 19.01.2023 को प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र मूल अ० धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा न. 367 में आवागमन के लिए नजरी नक्शे में वर्णित रास्ता ही एकमात्र रास्ता है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 रास्ते को संकड़ा कर देते हैं जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है उक्त चाहे गए रास्ते के बदले में प्रार्थीगण अपनी काश्त भूमि में से भूमि देने तथा डीएलसी दर के मुताबिक राशि का भुगतान करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थीगण की भूमि खसरा न. 367 में आवागमन हेतु खसरा न. 352, 353, 357, 358 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 15 फीट चौडा रास्ता नजरी नक्शे में वर्णितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु अप्रार्थी संख्या 14 को आदेशित किया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 7, 8 द्वारा पेश अन्तर्गत धारा 11 व 151 सीपीसी का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उक्त भूमि सम्बन्धित कोई निर्णय नहीं हुआ है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सीपीसी खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। बहस में अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा जिस भूमि में से रास्ता चाहने बाबत् निर्णय दिनांक 01.10.2021 को किया जा चुका है तथा उसी भूमि में रास्ता चाहने बाबत् आवेदकगण द्वारा अनावेदक संख्या 3, 5, 6, 11 से सांज कर दूसरा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सीपीसी की धारा 11 एवं 151 के विरुद्ध है अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 11 व 151 सीपीसी का स्वीकार किया जा[illegible] 251क रा.का. अधिनियम खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थी संख्या [illegible] 6 [illegible] 11 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क रा.का. अधिनियम [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम सराय की सरहद मे स्थित खसरा न. 367 स्थित है मे आवागमन के लिए अनावेदकगण की भूमि खसरा न. 352, 353, 357, 358 जिसकी खातेदारी अनावेदक संख्या 1 लगायत 11 के नाम से है उक्त भूमि की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा न. 367 में जाने हेतु राजकीय रास्ता कायम करवाना चाहा। उक्त खसरा न. से सम्बन्धिता पहले कोई निर्णय नही हुआ, ना ही अप्रार्थीगण ने इस निर्णय बाबत कोई दस्तावेज पेश किए हैं। अप्रार्थी संख्या 3, 5, 6, 9, 11 को उक्त खसरा नम्बरान में से राजकीय रास्ता कायम करने पर कोई एतराज नहीं है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार खसरा न. 353 रकबा 0.13 बा.ए. में मौके पर काश्त की हुई है तथा खसरा न. 353, 357, 358 मे मौके पर पूर्वी सीमा के सहारे सहारे लगभग 4 मीटर चौडा रास्ता बना हुआ है जिस पर मोरम पडी हुई है जो कि खसरा न. 367 की उत्तरी सीमा लगती है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण/अनावेदक संख्या 1, 2, 4, 7 व 8 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क रा.का. अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सराय पटवार हल्का सराय की सरहद में स्थित आवेदकगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 367 में आवागमन हेतु अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 11 के कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 352, 353, 357, 358 में से तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट में दर्शाया गया रास्ता को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थीगण रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि या डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार उदयपुरवाटी के पास जमा करवाऐं एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है को नियमानुसार भुगतान करे/जमीन के बदले जमीन दे तथा उक्त 4 मीटर चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। फर्द मौका रिर्पोट दिनांक 19.01.2023 मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested